(ईमेल/स्पीड पोस्ट)

प्रेषक

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

श्री राहुल वर्मा,
अपर महाधिवक्ता,
माननीय उच्चतम न्यायालय,
नई दिल्ली।

संख्या : 82(1)/30–जी.सी./2022–23 दिनाँक : 15 मार्च, 2023

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 848/2022 रोहित नेगी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने आपके पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.–183–653/2023/1661 दिनाँक 18.01.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं.–848/2022 रोहित नेगी एवम् अन्य बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनाँक 10.01.2023 द्वारा ग्राम नैकाना, पोस्ट तल्ला रामगढ़, जिला नैनीताल स्थित रामगढ़ नदी के बाढ़ क्षेत्र में बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण एवम् अतिक्रमण से सम्बन्धित प्रकरण में मा. एन.जी.टी. द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है :–

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

प्रकरण पर समन्वय एवम् अनुपालन हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवम् नियमानुसार कार्यवाही सहित दो माह के अन्तर्गत Factual and Action Taken Report मा. एन.जी.टी. में दाखिल की जानी है। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनाँक 17.03.2023 को नियत है। उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डॉ. डी.के. जोशी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कॉलोनी, हल्द्वानी (मो.नं.–9412998572, ई–मेल– ro.haldwani@gmail.com, dkjoshi21@gmail.com) को नामित किया गया है। तद्क्रम में प्रकरण में संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करने का अनुरोध किया गया है तथा निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरीक्षण आख्या एवम् कृत कार्यवाही की आख्या मा. एन.जी.टी. में दाखिल किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्तानुसार किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण में उप जिलाधिकारी, नैनीताल को संयुक्त कमेटी का सदस्य नामित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उप जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 393/निरीक्षण/आर.ए./2023 दिनाँक 15 मार्च, 2023 के माध्यम से निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर प्रेषित की गई है, जो निम्नवत् है :–

1. निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल में नदी के आस–पास हो रहे निर्माण कार्य आदि की जॉच की गयी जांच के दौरान ग्राम नैकान में श्री गौरव बिष्ट, बिल्डर द्वारा नदी के समीप 11 नाली भूमि क्रय की गयी है। श्री गौरव बिष्ट द्वारा अपनी नाप भूमि पर समतलीकरण किया गया है (फोटोग्राफ संलग्न है) एवं निजी खेतों की सुरक्षा हेतु नदी से लगते हुए खेतों पर पत्थरों द्वारा दीवारों का निर्माण किया गया है। नदी अपनी मूल धारा में प्रवाहित हो रही है। श्री गौरव बिष्ट द्वारा अपनी क्रय की गयी भूमि को समतल किये जाने हेतु भूमि का खुदान किया गया है तथा मिट्ठी एवं पत्थर को उपयोग में लाते हुए कुल 08 दीवारें बनायी गयी हैं। जिसकी नाप किये जाने पर नाप निम्नानुसार पायी गयी है:–

- 90 X 5.0 X 1.0= 450.00 घनमीटर — 35 X 2.30 X 0.6= 48.30 घनमीटर
- 90 X 1.5 X 1.6= 81.00 घनमीटर — 35 X 2.30 X 0.6= 48.30 घनमीटर
- 72 X 1.7 X 0.6= 73.44 घनमीटर — 35 X 2.0 X 0.6= 42.00 घनमीटर
- 72 X 1.5 X 0.6= 65.00 घनमीटर — 40 X 1.20 X 0.6= 29.00 घनमीटर

इस प्रकार कुल 08 दीवारों को बनाये जाने हेतु 837 घनमीटर अर्थात 18414 कुन्टल पत्थर का उपयोग किया गया है। जिसके सम्बन्ध में उक्त 837 घनमीटर अर्थात 18414 कुन्टल पर रू0 5,15,592.00 (रूपया पांच लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बयानबे मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित की जाने की संस्तुति की गयी है। (फोटोग्राफ संलग्न)

क्रमशः–2

2. राजस्व अभिलेखानुसार लगभग नदी की चौड़ाई लगभग 30 मीटर है तथा मौके पर 15 मीटर में नदी का प्रवाह है मौके पर नदी की पैमाईश करने के दौरान श्री गौरव बिष्ट द्वारा 40–50 मीटर भाग पर कुछ स्थान पर 1 मीटर तथा कुछ पर 1/2 मीटर पर अतिकमण कर खेतों की दीवार का निर्माण कार्य किया गया है। नदी क्षेत्र से दीवार हटाये जाने हेतु सम्बन्धित को नोटिस जारी किया गया है तथा सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तराखण्ड **Public Premises Act** में चालानी कार्यवाही कर बेदखली हेतु न्यायालय को संदर्भित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त शिकायत के अन्य बिन्दु यथा पुलिया पर अतिकमण, पानी के स्रोत पर अतिकमण आदि नहीं पाया गया। मौके पर सुरक्षा दीवार के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य एवं खनन तथा मलुवा फेंका जाना नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय बेनाप भूमि पर अतिकमण किया जाना नहीं पाया गया।
3. निरीक्षण के दौरान नदी एवं अन्य जल स्रोतों से जल का दोहन एवं रास्ते में किसी भी प्रकार का अतिकमण आदि किया जाना नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री रोहित नेगी मौके पर उपस्थित रहें तथा उनके द्वारा वर्तमान में शिकायत का निराकरण होने की बात स्वीकार की गयी जिसे लिखित रूप में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में दिये जाने हेतु कहा गया है।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कुल 08 दीवारों को बनाये जाने हेतु 837 घनमीटर अर्थात 18414 कुन्टल पत्थर का उपयोग किया गया है। जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 837 घनमीटर अवैध खनन (पत्थर) की कीमत रू. 5,15,592.00 वसूलने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है।

उक्त आख्या के आधार पर इस कार्यालय के नोटिस संख्या 41/30–जी.सी./2022–23 दिनॉंक 15 मार्च, 2023 द्वारा अवैध खननकर्ता श्री गौरव बिष्ट उपरोक्त को नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिउत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उप जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराई गई निरीक्षण आख्या व इस कार्यालय द्वारा नोटिस संख्या 41/30–जी.सी./2022–23 दिनॉंक 15 मार्च, 2023 की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है, कि कृपया उक्तानुसार वस्तुस्थिति से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक 393 /निरीक्षण/आर॰ए॰/2023 दिनांक 15 मार्च, 2023

महोदय,

आपके कार्यालय के आदेश संख्या 82/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 15 फरवरी, 2023 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 27.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम नैकाना पोस्ट तल्ला रामगढ़ जिला नैनीताल स्थित रामगढ़ नदी में बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण में संबंधित अधिकारियों एवं राजस्व कार्मिकों के साथ संयुक्त रूप स्थलीय निरीक्षण किया गया।

अतः निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(राहुल शाह),
उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

➤ **ग्राम नैकाना पोस्ट तल्ला रामगढ़ जिला नैनीताल स्थित रामगढ़ नदी में बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण में एन0जी0टी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में संबंधित विभागों की उपस्थिति में किये गये संयुक्त स्थलीय निरीक्षण की निरीक्षण आख्या।**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के आदेश संख्या 82/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 15 फरवरी, 2023 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 27.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों 1– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी 2– सर्वेयर, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय हल्द्वानी एवं राजस्व निरीक्षक तथा राजस्व उपनिरीक्षक रामगढ़ तहसील नैनीताल के साथ ग्राम नैकाना पोस्ट तल्ला रामगढ़ जिला नैनीताल स्थित रामगढ़ नदी में बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण में रामगढ़ नदी का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल में नदी के आस पास हो रहे निर्माण कार्य आदि की जांच की गयी जांच के दौरान ग्राम नैकान में श्री गौरव बिष्ट, बिल्डर द्वारा नदी के समीप 11 नाली भूमि कय की गयी है। श्री गौरव बिष्ट द्वारा अपनी नाप भूमि पर समतलीकरण किया गया है

एवं निजी खेतों की सुरक्षा हेतु नदी से लगते हुए खेतों पर पत्थरों द्वारा दीवारों का निर्माण किया गया है। नदी अपनी मूल धारा में प्रवाहित हो रही है। श्री गौरव बिष्ट द्वारा अपनी कय की गयी भूमि को समतल किये जाने हेतु भूमि का खुदान किया गया है तथा मिट्ठी एवं पत्थर को

उपयोग में लाते हुए कुल 08 दीवारें बनाये बनायी गयी हैं। जिसकी नाप किये जाने पर नाप निम्नानुसार पायी गयी है–

- 90X5.0X1.0=450.00 घनमीटर
- 90X1.5X0.6=81.00 घनमीटर
- 72X1.7X0.6=73.44 घनमीटर
- 72X1.5X0.6=65.00 घनमीटर
- 35X2.30X0.6=48.30 घनमीटर
- 35X2.30X0.6=48.30 घनमीटर
- 35X2.0X0.6=42.00 घनमीटर
- 40X1.20X0.6=29.00 घनमीटर

इस प्रकार कुल 08 दीवारों को बनाये जाने हेतु 837 घनमीटर अर्थात् 18414 कुन्टल पत्थर का उपयोग किया गया है। जिसके संबंध में उक्त 837 घनमीटर अर्थात् 18414 कुन्टल पर रू॰ 515592.00 (रूपया पांच लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बयानबे मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित की जाने की संस्तुति की गयी है।

2. राजस्व अभिलेखानुसार लगभग नदी की चौड़ाई लगभग 30 मीटर है तथा मौके पर 15 मीटर में नदी का प्रवाह है मौके पर नदी की पैमाईश करने के दौरान श्री गौरव बिष्ट द्वारा 40–50 मीटर भाग पर कुछ स्थान पर 1 मीटर तथा कुछ पर 1/2 मीटर पर अतिक्रमण कर खेतों की दीवार का निर्माण कार्य किया गया है। नदी क्षेत्र से दीवार हटाये जाने हेतु संबंधित को नोटिस जारी किया गया है तथा संबंधित के विरूद्व उत्तराखण्ड Public Premises Act में चालानी कार्यवाही कर बेदखली हेतु न्यायालय को संदर्भित किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त शिकायत के अन्य बिन्दु यथा पुलिया पर अतिक्रमण, पानी के स्रोत पर अतिक्रमण आदि नहीं पाया गया।

मौके पर सुरक्षा दीवार के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य एवं खनन तथा मलुवा फेंका जाना नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय बेनाप भूमि पर अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया।

3. निरीक्षण के दौरान नदी एवं अन्य जल स्रोतों से जल का दोहन एवं रास्ते में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आदि किया जाना नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री रोहित नेगी मौके पर उपस्थित रहें तथा उनके द्वारा वर्तमान में शिकायत का निराकरण होने की बात स्वीकार की गयी जिसे लिखित रूप में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में दिये जाने हेतु कहा गया है।

अतः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

राजस्व उप निरीक्षक
रामगढ़

राजस्व निरीक्षक
रामगढ़

सर्वेयर,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, हल्द्वानी।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी

उपजिलाधिकारी,
नैनीताल।

1409
1411
2475
2476
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2408
नदी
नहर

-: नोटिस :-

श्री गौरव बिष्ट, (बिल्डर)
ग्राम नैकाना पो0 तल्ला रामगढ़,
जिला नैनीताल।

उपजिलाधिकारी, नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या–393/निरीक्षण/आर0ए0/2023 दिनाँक 15 मार्च, 2023 का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि माननीय राश्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के कम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के आदेश संख्या 82/30–जी0सी0/2022–23 दिनांक 15 फरवरी, 2023 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 27.02.2023 को उपजिलाधिकारी नैनीताल द्वारा सम्बन्धित विभागयी अधिकारियों के साथ ग्राम नैकाना पो0 तल्ला रामगढ़ जिला नैनीताल स्थित रामगढ़ नदी में बिल्डरों द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिकमण से सम्बन्धित प्रकरण में रामगढ़ नदी का संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल में नदी के आस–पास हो रहे निर्माण कार्य आदि की जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम नैकान में श्री गौरव बिष्ट, बिल्डर द्वारा नदी के समीप 11 नाली भूमि कय की गयी है, श्री गौरव बिष्ट द्वारा अपनी नाप भूमि पर समतलीकरण किया गया है एवं निजी खेतों की सुरक्षा हेतु नदी से लगते हुए खेतों पर पत्थरों द्वारा दीवारों का निर्माण किया गया है। नदी अपनी मूल धारा में प्रवाहित हो रही है। श्री गौरव बिष्ट द्वारा अपनी कय की गयी भूमि को समतल किये जाने हेतु भूमि का खुदान किया गया है तथा मिट्ठी एवं पत्थर को उपयोग में लाते हुए कुल 08 दीवारें बनायी गयी हैं। जिसकी नाप किये जाने पर नाप निम्नानुसार पायी गयी है:–

- 90 X 5.0 X 1.0= 450.00 घनमीटर — 35 X 2.30 X 0.6= 48.30 घनमीटर
- 90 X 1.5 X 1.6= 81.00 घनमीटर — 35 X 2.30 X 0.6= 48.30 घनमीटर
- 72 X 1.7 X 0.6= 73.44 घनमीटर — 35 X 2.0 X 0.6= 42.00 घनमीटर
- 72 X 1.5 X 0.6= 65.00 घनमीटर — 40 X 1.20 X 0.6= 29.00 घनमीटर

उक्तानुसार कुल 08 दीवारों को बनाये जाने हेतु 837 घनमीटर अर्थात 18414 कुन्टल पत्थर का उपयोग किया गया है। जिसके सम्बन्ध में उक्त 837 घनमीटर अर्थात 18414 कुन्टल पत्थर का अवैध उपयोग किया गया है। जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 837 घनमीटर अवैध खनन (पत्थर) की कीमत रू. 5,15,592.00/–(रूपया पांच लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बयानबे मात्र) वसूलने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है।

आपका उक्त कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन हैं।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।

संख्या : 41 /30–जी.सी./2022–23 दिनांक : 15 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी, नैनीताल।
2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
3– तहसीलदार, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित, कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल